हमने उपयोगिता और पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यदि आप पहुंच-योग्यता संबंधी समस्याओं का अनुभव करते हैं, तो कृपया. [engagement@ndiscommission.gov.au](mailto:engagement@ndiscommission.gov.au). पर संपर्क करें

# SAFEGuard Quarterly Newsletter

## अंक 5: ग्रीष्म, 2021

## विकलांगों, आपके मित्रों, परिवार, अधिवक्ताओं और समुदाय के लिए एक समाचार पत्र।

कृपया इस न्यूजलेटर को अपने नेटवर्क में विकलांगों के साथ साझा करें - उदाहरण के लिए, यदि आप एक NDIS प्रदाता या कार्यकर्ता हैं जो विकलांग व्यक्ति का समर्थन करते हैं, या विकलांग व्यक्ति के वकील, अभिभावक, मित्र या परिवार के सदस्य हैं।

## विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

### हर साल दिसंबर में, दुनिया भर में विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो विकलांग लोगों के योगदान और उपलब्धियों को उत्सव मनाता है और उनके प्रति जागरूकता, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देता है।

### इस वर्ष के समारोह का विषय 'कोविड -19 के बाद ​​​​की समावेशी, सुलभ और दीर्घकालिक दुनिया बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी' है।

### NDIS आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि NDIS प्रतिभागियों को योग्यता प्राप्त प्रदाताओं से सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सहायता और सेवाएँ प्राप्त हों, चाहे वे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहते हों। इस कार्य में विकलांग लोगों का योगदान और नेतृत्व महत्वपूर्ण है।

हम जो कुछ भी करते हैं, उसके हर पहलू में हम विकलांग लोगों के साथ संपर्क बनाते हैं, और आपके अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों और प्रक्रियाओं को सूचित करते हैं और निरंतर सुधार के लिए हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। हम एनडीआईएस अधिनियम और नियमों के तहत उपकरणों का उपयोग करके स्वास्थ्य सुरक्षा और विकलांग लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए मौजूद हैं, जो प्रदाताओं को उचित रूप से शिक्षित और विनियमित करने के लिए हैं। आचार संहिता और हमारे सभी मानक विकलांग लोगों के अनुभव के माध्यम से लिखे गए हैं।

### जब आप किसी प्रदाता से प्राप्त सहायता या सेवा के बारे में शिकायत करते हैं, जब तक आप हमारे साथ डिज़ाइन बनाने और सहभागिता गतिविधियों में भाग लेते हैं - आपके अनुभव और विचार हमारे प्रदाताओं को विनियमित करने के तरीके को आकार देते हैं, हम कैसे और क्या संवाद करते हैं, और हम जो संसाधन विकलांग लोगों और उनकी सहायता करने वाले प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं के लिए विकसित करते हैं।

### आपकी प्रतिक्रिया और अनुभवों से हम जानते हैं कि COVID-19 महामारी कई विकलांगों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रही है। इस अवधि के दौरान हम आपकी इन चुनौतियों के बारे में आपकी प्रतिक्रिया का जवाब देते रहे हैं और देते रहेंगे। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि पंजीकृत एनडीआईएस प्रदाता आपको प्रदान किए जाने वाले समर्थन की सुरक्षा और निरंतरता के बारे में अपने चल रहे दायित्वों और COVID-19 टीकाकरण तक पहुंचने में आपकी सहायता करने में अपनी भूमिका से अवगत हैं। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया है कि आपके पास सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी है।

इन कार्यों और कई अन्य कार्यों के माध्यम से, हम विकलांग लोगों के साथ काम करना जारी रख रहे हैं ताकि विकलांग लोगों को शिक्षित और उत्थान किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रतिभागी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच सकें और पसंद, नियंत्रण और सम्मान को बढ़ावा देने वाले समर्थन कर सकें।

इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद, हम आपसे और अधिक सुनने के लिए उत्सुक हैं।

## NDIS अधिनियम में परिवर्तन

NDIS कानून में हाल के बदलाव बेहतर सूचना साझाकरण व्यवस्था के माध्यम से सबसे अधिक जोखिम वाले विकलांग लोगों के नुकसान को रोकने में मदद करेंगे।

[*National Disability Insurance Scheme Act 2013*](https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392) वह कानून है जिसने NDIS आयोग की स्थापना की और हमारे मुख्य कार्यों और ढांचे को निर्धारित किया।

21 अक्टूबर 2021 को, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने [*National Disability Insurance Scheme Amendment (Improving Supports for At Risk Participants) Bill 2021*](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r6725) पारित किया।

यह बिल *National Disability Insurance Scheme Act 2013* में कई बदलाव करता है। बिल NDIS प्रतिभागियों के लिए सुरक्षा में सुधार के लिए परिवर्तनों को लागू करता है, जिसमें एन-मैरी स्मिथ की दुखद मौत से संबंधित परिस्थितियों में स्वतंत्र समीक्षा की कुछ सिफारिशें शामिल हैं ([Robertson Review](https://www.ndiscommission.gov.au/document/2101)).. बिल 29 अक्टूबर को प्रभावी हुआ है।

मुख्य परिवर्तनों में शामिल हैं:

* NDIS आयुक्त के अनुपालन और प्रवर्तन शक्तियों का विस्तार करना
* प्रदाता पंजीकरण प्रावधानों को स्पष्ट करना
* NDIA और NDIS आयोग के बीच प्रदाताओं और कामगारों के बारे में जानकारी साझा करने में सक्षम बनाना
* NDIS आयोग की संरक्षित जानकारी को प्रकटीकरण को संबंधित राज्य और क्षेत्रीय निकायों को सक्षम करना।

## नियामक संरेखण योजनाओं (regulatory alignment plans) पर अपनी बात कहें

विकलांगता सहायता, वृद्ध देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल के प्रतिभागियों और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार वर्तमान नियामक संरेखण परियोजना Regulatory alignment project का उद्देश्य है।

नियामक संरेखण प्रदाताओं के लिए दायित्वों के दोहराव को भी कम करेगा और कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की देखभाल में निर्बाध रूप से काम करना आसान बना देगा।

NDIS प्रदाताओं, कार्यकर्ताओं, प्रतिभागियों और उनके परिवारों को दिसंबर में होने वाले सार्वजनिक परामर्श में अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

परामर्श पत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिए और इज़ी रीड संस्करण प्राप्त करने के लिए, [health.gov.au](https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/aligning-regulation-across-the-care-and-support-sector). पर जाएं। परामर्श में भाग लेने में अपनी रुचि दर्ज करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के परामर्श केंद्र [Consultation Hub](https://consultations.health.gov.au/) पर जाएँ।

यह सुधार परियोजना NDIS सहित देखभाल और सहायता क्षेत्रों में शुरू की जा रही कई परियोजनाओं में से एक है। संबंधित NDIS सुधारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर जाएँ [our website](https://www.ndiscommission.gov.au/news/3356)

## NDIS आचार संहिता - विकलांग लोगों की गोपनीयता का सम्मान करें

सेफगार्ड का प्रत्येक संस्करण एन डी आई एस आचार संहिता (NDIS Code of Conduct ) के एक भाग पर केंद्रित है - इस बारे में नियमों का सेट है कि आपके प्रदाता और कर्मचारी आप की सहायता करते समय कैसे कार्य करें और कैसे सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित हैं।

इस संस्करण में, हम दूसरे नियम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो यह है कि आपके प्रदाताओं और कर्मचारियों को **विकलांग लोगों की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए।**

प्राइवेसी मानव अधिकार है। प्राइवेसी से संबंधित अधिकार राष्ट्रमंडल गोपनीयता अधिनियम 1988 और राज्य और क्षेत्र गोपनीयता कानूनों में निर्धारित किए गए हैं।

आपके पास निजता (प्राइवेसी) का अधिकार है और कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे एनडीआईएस सहायता और सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों की गोपनीयता का सम्मान करें और उनकी प्राइवेसी सुरक्षित रखें।

इसमें आपका नाम, पता, जन्म तिथि और आपके स्वास्थ्य या विकलांगता के बारे में विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण के संबंध में गोपनीयता शामिल है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते समय, कर्मचारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए:

* जिस प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाएगी और रखी जाएगी, उसमें रिकॉर्ड की गई श्रव्य और दृश्य सामग्री सम्मिलित है।
* यह जानकारी क्यों आयोजित की जाती है
* इस जानकारी की पहुंच किसके पास होगी
* वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जानकारी सुरक्षित है
* इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाएगा
* आप अपने बारे में रखी गई जानकारी तक कैसे पहुंचें और उसमें संशोधन कैसे करें
* अगर आपको लगता है कि आपके एनडीआईएस प्रदाता ने अपने गोपनीयता दायित्वों का उल्लंघन किया है तो शिकायत कैसे करें।

कुछ मामलों में, कानूनी दायित्व होते हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि किसी कर्मचारी या प्रदाता को आपकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी होगी। इसमें बाल संरक्षण मामलों पर अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, और हिंसा, शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार, और यौन दुराचार की घटनाओं की रिपोर्ट NDIS आयोग और पुलिस को रिपोर्ट करने के दायित्व शामिल हो सकते हैं।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि गोपनीयता का सम्मान करना व्यक्तिगत जानकारी को संभालने के लिए सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण से कहीं अधिक है। यह इस तरह से सेवाएं दे रहा है जिससे व्यक्तिगत गरिमा बनी रहे। इसमें सम्मिलित है -

* आपकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना
* यदि शारीरिक स्पर्श या निजी सीमा रेखा के भीतर जाकर कोई प्रक्रियाओं करनी है तो उन्हें समझाना और उनकी अनुमति का अनुरोध करना
* समय रहते पेशाब निकलने या असंयम पैड बदलने जैसी शर्मिंदगी और परेशानी को रोकने के लिए सेवाएं प्रदान करना
* रोज़मर्रा की व्यक्तिगत गोपनीयता की ज़रूरतों, जैसे निजी और आरामदायक जगह में स्नान करने और कपड़े पहनने में सक्षम होना, आदि पर विचार करना।

अगर आपको लगता है कि कोई इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, [complain to us](https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints).

## कोविड -19 टीकाकरण

टीका लगवाने से आपके स्वास्थ्य और आपके आस-पास के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी NDIS प्रतिभागी COVID-19 वैक्सीन के लगवा सकते हैं।

हमारे कार्यवाहक आयुक्त ने हमारी वेबसाइट पर एक व्यक्तव्य प्रकाशित किया है, जो विकलांग लोगों के COVID-19 टीकाकरण के बारे में अपना निर्णय लेने के अधिकार और टीकाकरण के लिए NDIS प्रतिभागियों को समर्थन देने में NDIS प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

सभी NDIS प्रदाताओं और कर्मचारियों को भी टीकाकरण के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। यह आपका अधिकार है कि यदि आप उन कार्यकर्ताओं की मांग करें जिन्होंने टीका लगवा लिया है।

आप अपने एनडीआईएस प्रदाता से टीका लगवाने के बारे में बात कर सकते हैं, या टीकाकरण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने या वहाँ उपस्थित होने के लिए उनसे मदद मांग सकते हैं।

आप टीकाकरण के बारे में अपने जीपी या डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के COVID-19 वैक्सीन क्लिनिक फाइंडर [Department of Health’s COVID-19 Vaccine Clinic Finder](https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en) पर जा सकते हैं या 1800 020 080 पर राष्ट्रीय कोरोनावायरस और COVID-19 टीकाकरण हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

**यदि आपको COVID-19 वैक्सीन बुक करने में सहायता की आवश्यकता है या COVID-19 के बारे में मुफ्त, तथ्य-जांच की गई जानकारी और सलाह की आवश्यकता है, तो डिसेबिलिटी गेटवे**[**Disability Gateway**](https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-ctrlrky-l-y/) **वेबसाइट पर जाएं या 1800 643 787 पर कॉल करें। डिसएबिलिटी गेटवे फोन लाइन सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से 8 बजे AEDT तक उपलब्ध है।**

जिन लोगों को अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जानकारी की आवश्यकता है, वे अनुवाद और दुभाषिया सेवा को 131 450 पर कॉल कर सकते हैं, और विकलांगता गेटवे से जुड़े रहने के लिए कह सकते हैं।

जो लोग बहरे हैं या सुनने या बोलने में अक्षम हैं, वे नेशनल रिले सर्विस को 1800 555 677 पर कॉल कर सकते हैं और डिसेबिलिटी गेटवे से कनेक्ट होने के लिए कह सकते हैं।

टीकाकरण के बारे में अधिक जानकारी स्वास्थ्य विभाग [Department of Health website](https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-service-providers-workers-and-people-with-disability-about-covid-19-vaccines/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसमें [Easy Read](https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-vaccination-easy-read-resources) और [Auslan](https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-vaccination-videos-auslan)  संसाधन शामिल हैं।

## अपने कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण कैसे प्राप्त करें

आपको इस बात के प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है कि आपने अपना कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त लिया है। आप अपने टीकाकरण का प्रमाण दिखाने के लिए एक कोविड-19 डिजिटल प्रमाणपत्र या अपना टीकाकरण इतिहास विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया [Services Australia](https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof) वेबसाइट में ऑनलाइन खाता सेट करने में मदद करने के लिए कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, जिससे आप अपने टीकाकरण के प्रमाण प्राप्त और संग्रहीत कर सकें।

आप ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर को 1800 653 809 पर भी कॉल कर सकते हैं और उन्हें अपना टीकाकरण इतिहास विवरण या COVID-19 डिजिटल प्रमाणपत्र आपको भेजने के लिए कह सकते हैं। पोस्ट से आपका स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट आने में 14 दिन तक का समय लग सकता है।

आप अपने NDIS प्रदाता से अपने टीकाकरण का प्रमाण प्राप्त करने में मदद करने के लिए भी कह सकते हैं।

**एन डी आई एस आयोग से कैसे संपर्क करें**

आप हमें 1800 035 544 पर कॉल कर सकते हैं। यह लैंडलाइन से निःशुल्क कॉल है। हमारा संपर्क केंद्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5.00 बजे तक (NT में सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे तक) खुला रहता है।

वैकल्पिक रूप से, आप एक ईमेल भेज सकते हैं [contactcentre@ndiscommission.gov.au](mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au)

**शिकायत करने के तरीके**

अगर आप हमसे शिकायत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं:

* कॉल करें: 1800 035 544 (लैंडलाइन से मुफ्त कॉल) या TTY 133 677 दुभाषियों की व्यवस्था की जा सकती है।
* राष्ट्रीय रिले सेवा [National Relay Service](https://www.communications.gov.au/accesshub/) का उपयोग करें और 1800 035 544 के लिए पूछें।
* एक ऑनलाइन शिकायत संपर्क [complaint contact form](https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF) **फ़ॉर्म भरें।**

**हमारा अनुसरण करें**

**LinkedIn**: [www.linkedin.com/company/ndiscommisson](http://www.linkedin.com/company/ndiscommisson)

**Facebook:** [www.facebook.com/NDISCommission](http://www.facebook.com/NDISCommission)

**इस न्यूज़लेटर की सदस्यता लें**

यदि किसी ने आपको यह ईमेल अग्रेषित किया है, लेकिन आप चाहेंगे कि भविष्य में हम इसे सीधे आपको भेज दें, तो आप सदस्यता फॉर्म [subscription form](https://confirmsubscription.com/h/t/7CB3E6736CB42F1C) भरकर सदस्यता ले सकते हैं।